मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

पंजीकरण दिनाँक: 31/01/15 निर्णय दिनाँक: 27/10/20 अवधि: 5 वर्ष, 8 माह, 26 दिन

एम.ए.सी.पी.संख्या 29 वर्ष 2015

1. सुरेश चन्द्र राय पुत्र श्री महाराज सिंह राय आयु 54 वर्ष
2. श्रीमती शशि राय पत्नी श्री सुरेश चन्द्र राय आयु 50 वर्ष
3. कु. प्रीति राय पुत्री सुरेश चन्द्र राय

समस्त निवासियान वार्ड नं. 23 सिमराहा थाना सदर बाजार तहसील व जिला झाँसी (उ.प्र.)

------याचीगण

प्रति

1. वीरेन्द्र कुमार व्यास पुत्र राम निवास व्यास प्रोपराइटर रामराज इण्टर प्राईजेज टीकमगढ़ हाल निवासी नागौरी गार्डन भीलवाड़ा, राजस्थान

.....वाहन स्वामी एम.पी. 15 जी 1580

2. राम सिंह पुत्र बहादुर सिंह नि. ग्राम बडमाठी टीकमगढ़ हाल निवासी मऊ चुंगी नाका के पास जिला टीकमगढ़

..... वाहन चालक वाहन सं. एम.पी. 15 जी 1580

3. यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. जरिये मण्डलीय प्रबधन्क यू. इं. इन्श्योरेन्स कं. लि., सदर बाजार, झाँसी

..... बीमाकर्ता वाहन सं. एम.पी. 15 जी 1580

4. पूरन कुशवाहा पुत्र बल्देव कुशवाहा नि. ग्रा. सिमराहा थाना सदर बाजार, झाँसी

..... स्वामी मोटर साईकिल सं. यू.पी. 93 एस 2965

5. श्याम कुशवाहा पुत्र पूरन कुशवाहा नि. ग्राम सिमराहा थाना सदर बाजार, झाँसी

..... चालक मोटर साईकिल सं. यू.पी. 93 एस 2965

------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री सिद्दीकी एम.आई. अतहर
विपक्षी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता- श्री अशोक कुमार अग्रवाल
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता- श्री नीरज नयन नगाइच
विपक्षी सं. 4 व 5 के अधिवक्ता- सुश्री रेखा गुप्ता

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक रवि राम की मृत्यु के कारण ₹ 16,80,000 क्षतिपूर्ति मय 12% वार्षिक ब्याज व दादरसी हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याचीगण का पुत्र व भाई रवि राय दिनाँक 24.09.2014 को समय करीब 12.00 बजे दिन अपने गाँव के एक साथी के साथ सिमराहा से ओरछा जा रहा था कि जैसे ही वह ग्राम जमुनिया के पहले इमली के पेड़ के पास पहुँचा कि ओरछा की ओर से ट्रक सं. एम.पी. 15 जी 1580 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाही व तेज गति से चलाकर गलत हाथ पर आकर रवि राय की मोटर साईकिल में सामने से जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा साथी श्याम कुशवाहा को भी गम्भीर चोटें आईं। दुर्घटना के उपरान्त मौके पर आये व्यक्तियों के सहयोग से श्याम कुशवहा ने फोन करके मोबाईल वैन 108 को बुलाया, जिसके द्वारा रवि राय व उसके साथी को थाना ओरछा पहुँचाया गया जहाँ रवि राय ने स्वयँ बोलकर थाना ओरछा में एफ.आई.आर. वाहन सं. एम.पी. 15 जी 1580 के चालक के विरूद्ध दर्ज कराई। रवि राय को पुलिस व मौके पर उपस्थित लोगों के सहयोग से इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओरछ ले जाया गया। तत्पश्चात डाक्टरों ने मेडिकल कॉलेज, झाँसी रेफर कर दिया, जहाँ रवि राय का इलाज दिनाँक 24.09.2014 से दोपहर 25.09. 2014 तक चला परन्तु जब स्वास्थ लाभ नहीं हुआ तब रवि राय को शीला जैन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर में भर्ती कराया गया जहाँ उसका इलाज दिनाँक 25.09.2014 से 05.10.2014 तक चला। इसके पश्चात रवि राय को दिनाँक 05.10.2014 को प्राईवेट नर्सिंग होम चिरंजीव मेडिकल सेन्टर, झाँसी तथा दिनाँक 13.10.2014 को रेलवे अस्पताल, झाँसी में इलाज हेतु भर्ती कराया तथा रेलवे अस्पताल, झाँसी से उसे दिनाँक 21.10.2014 को बी.एल.के अस्पताल, दिल्ली इलाज हेतु रेफर किया

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.02 16:49:14 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

परन्तु दिनाँक 22.10.2014 को रवि राय की मृत्यु 1.18 पी.एम. पर हो गयी। मृतक के इलाज पर लगभग ₹ 5,00,000 व्यय हुआ। मृतक की मृत्यु से याचीगण का एक मात्र सहारा छिन गया। मृतक की उम्र 27 वर्ष थी तथा वह अपने मित्र के साथ किराये पर डी.जे. म्यूजिक सिस्टम चलाकर व्यवसाय करता था, जिससे वह ₹ 5000 अर्जित करता था तथा मे. श्रीराम कन्स्ट्रक्शन में सुपरवाईजर के पद पर नौकरी करता था, जिससे उसे ₹ 10,000 प्रतिमाह वेतन मिलता था। इस प्रकार मृतक दुर्घटना से पूर्व कुल ₹ 15000 प्रतिमाह कमाता था।

3. विपक्षी सं. 1 वीरेन्द्र कुमार व्यास प्रश्नगत ट्रक सं. एम.पी. 15 जी 1580 के पंजीकृत स्वामी व विपक्षी सं. 2 राम सिंह प्रश्नगत ट्रक के चालक की ओर से 16 बी संयुक्त जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि विपक्षी सं. 1 ने विपक्षी सं. 2 चालक को पूछताछ करने के बाद व ट्रक चलवाने के बाद नियोजन में रखा था। घटना दिनाँक को विपक्षी सं.1 का चालक विपक्षी सं. 2 सावधानी पूर्वक धीमी गति से ट्रक चला रहा था तथा घटना स्थल पर एक मोटर साईकिल चालक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, पास में ही मोटर साईकिल इमली के पेड़ से टकराई हुई पड़ी थी। मौके पर ड्राईवर व घायल के अलावा कोई नही था उसमें सांसे चल रही थी। ड्राईवर ने उसको उठाकर पानी पिलाया और अपने फोन से थाना को सूचित किया तब वहाँ से मोबाइल वैन 108 व मृतक के परिवार के लोग आ गये और वहाँ से मृतक को उठाकर ले गये। घायल मृतक ने बताया था कि वह मोटर साईकिल तेज गति होने से मोटरसाईकिल का संतुलन नही संभाल सका और इमली के पेड से टकरा गया इससे उसे चोटें आईं। मौके पर श्याम कुशवाहा नही थे। विपक्षी सं. 2 ने मानवता का कार्य किया है। मृतक के परिवार ने क्लेम पाने की लालच में झूठी रिपोर्ट डाली है। घटना के समय विपक्षी सं. 2 के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी लाईसेन्स है एवं प्रश्नगत वाहन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी के यहाँ असीमित दायित्व के लिए बीमाकृत था व प्रश्नगत वाहन के समस्त कागजात वैध थे। यदि याचीगण को कोई एवार्ड देय है तो उसके लिए विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

4. विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रश्नगत ट्रक सं. एम.पी. 15 जी 1580 की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा 25 बी दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि उपरोक्त दुर्घटना मात्र वाहन सं. एम.पी. 15 जी 1580 के चालक की लापरवाही व गलती से घटित हुई है इसलिए पृथक-पृथक व संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति अदा करने का दायित्व विपक्षीगण का है। मौके पर श्याम कुशवाहा नहीं थे और याचीगण ने पूर्णतः गलत बयानी से मुआवजा पाने के लिए प्रतिवादी के यहाँ बीमित वाहन के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी जबकि विपक्षी सं. 2 ने मानवता का कार्य किया है और इस वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। याचिका में मोटर साईकिल का नम्बर, रजिस्ट्रेशन, चालक का ड्राईविग लाईसेंस पेश नहीं किया गया है। याचिका से स्पष्ट होता है कि दुर्घटना आमने-सामने से हुई है और मोटर साईकिल चालक ने तेजी व लापरवाही से मोटर साईकिल चलाकर क्रास करते समय ट्रक में गलत साइड से टच किया और गिरा इसमें ट्रक चालक की कोई गलती नहीं है। प्रश्नगत ट्रक मोटर वाहन अधिनियम के प्राविधानों व बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था इस आधार पर विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी का कोई दायित्व नहीं है।

5. विपक्षी सं. 4 पूरन कुशवाहा व विपक्षी सं. 5 श्याम कुशवाहा क्रमशः प्रश्नगत मोटर साईकिल सं. यू.पी. 93 एस 2965 के स्वामी व चालक न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित तो आये किन्तु उनकी ओर से कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया अतः नियत दिनाँक 19.12.2016 के आदेशानुसार विपक्षी सं. 4 व 5 का जवाबदावा दाखिल करने का अवसर समाप्त किया गया।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 17.03.2017 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

> **1. क्या दिनाँक 24.09.2014 को समय करीब 12.00 बजे दिन जब याचीगण का पुत्र एवं भाई रवि राय मोटर साईकिल से अपने साथी के साथ ओरछा जा रहा था और जैसे ही वह ग्राम जमुनया के पास पहुँचा तभी ओरछा की ओर से आ रहे ट्रक संख्या एम.पी. 15 जी 1580 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर रवि की मोटर साईकिल में सामने से टक्कर मार दी जिससे आयी चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी?**

2. क्या कथित घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत ट्रक एवं मोटर साईकिल के चालक के पास उपरोक्त वाहन को चलाने के वैध लाइसेन्स थे?

3. क्या कथित घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत वाहन ट्रक विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी से विधिवत रूप से बीमित था?

4. क्या कथित घटना में तथाकथित मोटर साइकिल के चालक की योगदायी उपेक्षा एवं लापरवाही है, यदि हाँ तो कितने प्रतिशत?

5. क्या याचीगण कोई प्रतिकर की धनराशि पाने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो कितनी व किससे?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से

अभिलेखीय

1. फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1 लगायत 10 सी1 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध विवरण का फार्म नं.2, इंजरी रिपोर्ट व अन्तिम प्रतिवेदन(आरोपपत्र) की छाया प्रतियां शामिल है।

2. फेहरिस्त 33 सी1/1 लगायत 33 सी1/6 से 34 सी1/1 लगायत 34 सी1/124 प्रपत्र, जिनमें मृतक की पैथॉलोजी रिपार्टस, असल पर्चे, डिस्चार्ज पर्चे, मृत्यु प्रमाणपत्र की छाया प्रति, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, सेन्ट्रल हॉस्पिटल नोदर्न रेलवे दिल्ली की रेफर स्लिप, डेड बॉडी रिसीविंग स्लिप, पैन कार्ड, अकाल मृत्यु की सूचना, डेथ समरी, सम्पत्ति जब्ती पत्रक, रवि राय का आय प्रमाणपत्र श्रीराम कन्सट्रक्शन, असल दवाओं के बिल्स, ब्लड ट्रान्सफ्यूजन स्लिप, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी की असल कैश रसीदें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओरछा का असल पर्चा आदि शामिल हैं।

3. फेहरिस्त 67 सी1 के माध्यम से 68 सी1 लगायत 73 सी1/4 प्रपत्र, जिनमें आरोपपत्र, मैकनिकल रिपोर्ट, सम्पत्ति जब्तक पत्रक, एफ.आई.आर., अपराध विवरण का फार्म नं. 2 व पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपियाँ शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य

पी.डब्लू.1 याची सं.1 सुरेश चन्द्र राय मृतक का पिता, पी.डब्लू.2 शिव चरन कुशवाहा चक्षुदर्शी साक्षी

विपक्षीगण की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य

1. विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से फेहरिस्त 17 सी1 के माध्यम से 18 सी1 लगायत 28 सी1/5 प्रपत्र, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, डी.एल. व बीमा पॉलिसी की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ शामिल हैं।

2. विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से फेहरिस्त 82 सी1 से 83 सी1 मेडिकल बिलों की सत्यापन आख्या।

मौखिक साक्ष्य

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. मैंने वर्चुअल कोर्ट में उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्याँकन किया।

9. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 4</u>

टक्कर दो वाहनों के मध्य की अभिकथित है। वाद बिन्दु सं. 1 व 4 उपेक्षा व योगदायी उपेक्षा से संबंधित हैं अतएव सुविधा की दृष्टि दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वाद बिन्दु सं. 1 को साबित करने का भार याची पर है एवं वाद बिन्दु सं. 4 को साबित करने का भार विपक्षीगण पर है।

10. वाद बिन्दु सं. 1 को साबित करने के लिए याचीगण की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के अंतर्गत 68 सी1 आरोपपत्र, 69 सी1 मैकनिकल रिपोर्ट, 71 सी1 एफ.आई.आर., 72 सी1 अपराध विवरण फार्म (नक्शा नजरी) का फार्म नं. 2 व 73 सी1 मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सभी सत्यप्रतिलिपियाँ व 34 सी1/1 ता 34 सी1/124 इलाज के पर्चे, मूल बिल व मृतक की मृत्यु रिपोर्ट की छाया प्रति प्रस्तुत की गई हैं तथा मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत पी.डब्लू.1 याची सं. 1 सुरेश चन्द्र राय मृतक के पिता, पी.डब्लू.2 शिव चरन कुशवाहा चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित कराये गए हैं। पी.डब्लू.1 ने याचिका के अभिकथनों का समर्थन किया है परन्तु यह यह दुर्घटना का चक्षुदर्शी नहीं है अतः इस साक्षी के बयानों से वाद बिंदु संख्या एक पर कोई

प्रकाश नहीं पड़ता है। पी.डब्लू.2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनाँक 24.09.2014 की है, समय करब 12.00 बजे दोपहर जब वह अपने खेत की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि दो लड़के मोटर साईकिल से ओरछा की ओर जा रहे थे। जब वह ग्राम जमुनिया से पहले इमली के पेड़ के पास पहुँचे कि ओरछ की ओर से एक ट्रक संख्या एम.पी. 15 जी 1580 जो बड़ी तेजी व लापरवाही से ओरछा की ओर से आ रहा था कि अचानक उक्त **ट्रक के चालक ने गलत साइड में आकर अपनी साइड पर कच्ची पटरी के बगल में चलकर मोटर साईकिल सवारों की मोटर साईकिल में जोरदार टक्कर मार दी** जिससे मोटर साईकिल पर सवार दोनों लड़के घायल हो गये और मौके पर दुर्घटना देखकर भीड़ इक्ट्ठा हो गई। इस दुर्घटना के बाद ट्रक को छोड़कर चालक भाग गया था। 108 मोबाईल वैन को किसी ने बुला लिया था। जब पुलिस आ गई तो दोनों लड़कों का नाम, पता पूछा गया तो उसमें एक श्याम कुशवाहा व एक रवि राय था। रवि राय गम्भीर रूप से घायल था उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया व शरीर के अन्य भागों में भी चोटें थीं परन्तु वह बेहोश नही हुआ था और उसके सामने पुलिस से बातचीत कर रहा था। कुछ दिन बाद आते-जाते पता चला था कि दौरान इलाज रवि राय की दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। जब पुलिस घायलों को ओरछा लेकर चली गई तो वह अपने खेत पर चला गया था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में दुर्घटना स्थल की सही जानकारी देते हुए पूर्व की ओर ओरछा का रास्ता बताया है तथा उत्तर की ओर बृजनंदन कुशवाहा का खेत बताया है। इस साक्षी की प्रति परीक्षा से ऐसी कोई तात्विक विसंगति उत्पन्न नहीं हुई है जिससे इस साक्षी की दुर्घटना स्थल पर उपस्थिति पर संदेह किया जा सके। इस साक्षी का केवल आरोप पत्र में नाम न होने से या याची द्वारा साक्ष्य के लिए बुला कर लाने व घटना का दिन याद न होने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि यह दुर्घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का यह कथन कि **दुर्घटना ट्रक व मोटरसाइकिल में आमने सामने से हुई थी। दुर्घटना रोड पर हुयी थी। मोटरसाइकिल किनारे थी, ट्रक लगभग बीच में था। रवि ट्रक में दाहिनी ओर फंस गया था** तथा मुख्य परीक्षा का यह कथन कि **ट्रक के चालक ने गलत साइड में आकर अपनी साइड पर कच्ची पटरी के बगल में चलकर मोटर साईकिल सवारों की मोटर साईकिल में जोरदार टक्कर मार दी** एक दूसरे के विरोधी हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों वाहनों में से किसकी लापरवाही अधिक थी यह साक्षी इस बात को ठीक से समझ नहीं पाया। दोनों वाहन के चालक साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं आए आए हैं जिससे स्पष्ट होता कि इस आमने-सामने की टक्कर में किसकी कितनी लापरवाही थी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्घटना वाले दिन ही घायल रवि राय द्वारा दर्ज करा दी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक रवि राय ने स्वयं यह लेखबद्ध कराया है कि आयशर ट्रक सं. एम.पी. 15 जी 1580 का **चालक ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और उसकी मोटर साईकिल में सामने से टक्कर मार दी** जिससे उसका दाहिना पैर जांघ से लेकर अड़िया तक फट गया तथा दाहिने हाथ के पंजे में छिलन के निशान की चोटें आई। विवेचना के पश्चात विवेचना अधिकारी द्वारा ट्रक चालक को दोषी पाते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रपत्र सं. 72 सी1 तैयार किया है जो कि निम्न प्रकार है-

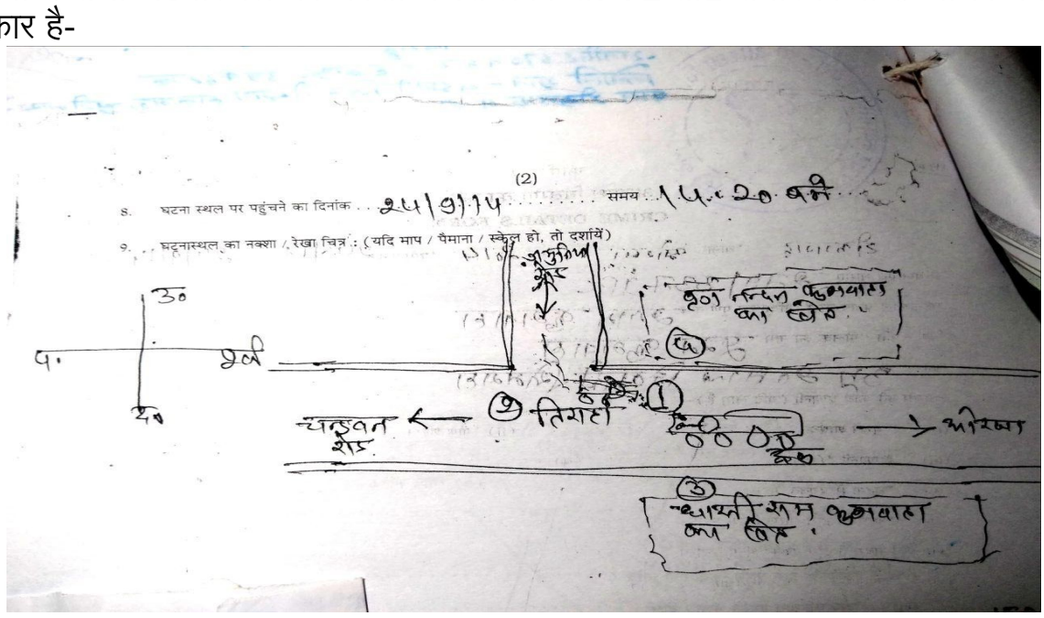

11. उक्त अपराध विवरण फार्म/नक्शा नजरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचनाधिकारी द्वारा दुर्धटना स्थल पर जाकर उक्त प्रपत्र श्याम कुशवाहा की निशानदेही पर तैयार किया गया है, जिसमें दुर्घटना स्थल को अंक 1 से दर्शाया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोटरसाइकिल चालक जमुनिया की ओर से आ रहा था और ट्रक चालक ओरछा की ओर से आ रहा था और T पॉइंट पर दोनों टकरा गये। यदि दोनों मे से एक भी चालक सतर्क होता तो यह दुर्घटना नही होता अर्थात T पॉइंट पर दोनों लापरवाही से चालन कर रहे थे। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण पत्रावली पर नही है कि मोटरसाइकिल का चालक मृतक रवि राय था या श्याम कुशवाहा। रवि राय द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह स्वयं मोटरसाइकिल चला रहा था और श्याम कुशवाहा पीछे बैठा था किंतु याचीगण की ओर से श्याम कुशवाहा को चालक के रूप मे पक्षकार बनाया गया है और पी.डब्लू.1 ने प्रति परीक्षा में श्याम कुशवाहा द्वारा मोटरसाइकिल चलाया जाना बताया है और छोटी मोटरसाइकिल श्याम कुशवाहा के पिता की है जिसका खण्डन श्याम कुशवाहा की ओर से नही हुआ है अतः अधिसंभवना इस बात की है कि श्याम कुशवाहा ही मोटर साइकिल चला रहा था। इसलिए यह साबित माना जाता है कि मोटरसाइकिल का चालक श्याम कुशवाहा था। ट्रक भारी वाहन होता है तथा उसके चालक से अधिक सतर्कता की आपेक्षा होती है। मेरे विचार से इस दुर्घटना में ट्रक चालक की 70% तथा मोटरसाइकिल चालक की 30% उपेक्षा रही है जिसके कारण यह दुर्घटना हुई है। प्रपत्र सं. 73 सी3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्य प्रति तथा से स्पष्ट होता है कि मृतक रवि राय को दाहिने पैर मे गंभीर चोटें आई जिससे लगभग 1 माह पश्चात इलाज के दौरान सेप्टीसीमिया से मृत्यु हो गई। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 1 व 2 निर्णीत किये जाते है।

12. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>**

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से चालक राम सिंह ठाकुर (विपक्षी सं. 2) के चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति 18 सी1 प्रस्तुत की गयी है जिसका विवरण भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/rcdlstatus/?pur_cd=101 पर उपलब्ध है जो निम्न प्रकार है-

Details Of Driving License: MP36R20150042863

Current Status:	ACTIVE
Holder's Name:	RAM SINGH THAKUR
Date Of Issue:	22-Nov-2010
Last Transaction At:	DTO,TIKAMGARH DTO
Old / New DL No.:	MP36 20150004286

Driving License Validity Details

Non-Transport	**From:** 06-Jun-2015	**To:** 05-Jun-2020	
Transport	**From:** 06-Jun-2015	**To:** 05-Jun-2018	
Hazardous Valid Till:	NA	**Hill Valid Till:**	NA

Class Of Vehicle Details

COV Category	Class Of Vehicle	COV Issue Date
NT	MCWG	22-Nov-2010
NT	LMV	22-Nov-2010
TR	TRANS	06-Jun-2012

जिसके अनुसार राम सिंह ठाकुर दिनॉक 06.06.2012 से तक 05.06.2018 ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है।

13. जहाँ तक कथित मोटर साईकिल के चालक के पास दुर्घटना के दिनाँक व समय पर चालन अनुज्ञप्ति होने का सम्बन्ध है, इस तथ्य के सम्बन्ध में याचीगण की ओर से 56 सी1/2 श्याम कुशवाहा (विपक्षी सं.5) के चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से प्रतीत तो होता है कि उक्त अनुज्ञप्ति दिनाँक 20.05.2014 से 19.05.2034 तक मोटर साइकिल चलाने हेतु वैध है किंतु इस पर श्याम कुशवाहा ने कुछ भी नही कहा है अतः इस प्रपत्र का कोई साक्ष्यिक मूल्य नही है। मृतक रवि राय की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति 59 सी1/5 भी पत्रावली पर प्रस्तुत है। इस अनुज्ञप्ति का भी कोई महत्तव नही है क्योंकि यह स्थापित नही हो पाया है कि मृतक रवि राय मोटर साइकिल चला रहा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित घटना के दिनॉक व समय पर ट्रक के चालक के पास दुर्घटना के समय ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की वैध चालन अनुज्ञप्ति थी किंतु मोटर साइकिल चालक के पास दुर्घटना के समय मोटर साइकिल चलाने की वैध चालन अनुज्ञप्ति नही थी। वाद बिन्दु सं. 2 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

14. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से 18 सी1/4 बीमा पॉलिसी की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत ट्रक सं. एम.पी. 15 जी 1580 दिनाँक 07.12.2013 से 06.12.2014 तक के लिए गुड्स कैरियंग कॉमर्सियल लाइबिलिटी पॉलिसी के अन्तर्गत बीमित है। इसके अतिरिक्त याची की ओर से प्रश्नगत वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र 18 सी1/2, परमिट 18 सी1/, स्वस्थता प्रमाणपत्र 10 सी1/5, की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ दाखिल की गयीं हैं। उक्त प्रपत्रों का खंडन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनाँक 24.09.2014 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत वाहन ट्रक विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी से विधिवत रूप से बीमित था। तदनुसार वाद बिन्दु सं.3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

15. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

वाद बिन्दु सं.1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 24.09.2014 को समय करीब 12.00 बजे दिन जब याचीगण का पुत्र एवं भाई रवि राय मोटर साईकिल से अपने साथी के साथ ओरछा जा रहा था और जैसे ही वह ग्राम जमुनया के पास पहुँचा तभी ओरछा की ओर से आ रहे ट्रक संख्या एम.पी. 15 जी 1580 मे यह मोटर साइकिल टकरा गई जिसमे ट्रक के चालक की उपेक्षा 70% व मोटर साईकिल चालक की उपेक्षा 30% थी। अतः ट्रक स्वामी व चालक तथा मोटर साईकिल स्वामी व संयुक्त व एकल रूप से क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी हैं। चूँकि ट्रक के चालक की चालन अनुज्ञप्ति व ट्रक का बीमा वैध एवं प्रभावी पाया गया है अतः 70% क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

16. <u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

याचीगण ने याचिका में मृतक की आय ₹ 5,000 पार्टनरशिप में डी.जे. म्यूजिक सिस्टम चलाने के व्यवसाय से व ₹ 10,000 प्रतिमाह वेतन मैसर्स श्रीराम कन्सट्रक्शन में सुपरवाईजर की नौकरी करने से बतायी है। पी.डब्लू 1 के रूप में याची ने जो कि हितबद्ध साक्षी है, ने उक्त कथनों का समर्थन किया है। याचगण की ओर से पत्रावली पर रवि राय का आय प्रमाणपत्र 34 सी1/53 दाखिल किया गया है जो कि श्रीराम कन्सट्रक्शन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें मृतक को ₹ 10,000 वेतन तथा ₹ 150 प्रतिदिन खर्चा मिलना अंकित है किन्तु इस प्राइवेट अभिलेख को याचीगण की ओर से उक्त आय प्रमाण पत्र को जारी करने वाले व्यक्ति को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त आय प्रमाणपत्र को साबित नहीं कराया गया है और डी.जे. म्यूजिक सिस्टम के व्यवसाय के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह उपधारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा की मृतका की आय ₹ 15,000/- मासिक थी। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था <u>Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008- SC)</u> : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था <u>Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018–ALLHC)</u> : MANU/ UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165 निर्धारित की जाती है।

17. याचीगण ने याचिका में मृतक रवि राय की उम्र 27 वर्ष अंकित की है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची ने उक्त कथन का समर्थन किया है। मृतक का पैन कार्ड पत्रावली पर 34 सी1/49 उपलब्ध है जिसमें उसकी जन्म तिथि 30.7.1989 अंकित है। मृतक की चालन अनुज्ञप्ति प्रपत्र संख्या 59 सी1/5 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें मृतक की जन्म तिथि 30.07.1988 अंकित है। घटना दिनाँक 24.09.2014 की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संभावित आयु 25 वर्ष अंकित है इन परिस्थितियों में मृतक की आयु दुर्घटना के समय लगभग 26 वर्ष अवधारित की जाती है। विधि व्यवस्था <u>National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017- SC)</u> : MANU/ SC/

1366/ 2017 के अनुसार 17 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य में प्रत्याशा की वृद्धि, अविवाहित के स्वयं के खर्च पर 1/2 भाग की कटौती, याचीगण के पुत्र एवं भाई की मृत्यु होने के कारण संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000, याची की आर्थिक स्थति के दृष्टिगत दाह संस्कार के लिए ₹ 10,000 व याची सं. 1 व 2 के एक जीवित पुत्र के दृष्टिगत सहचर्य के मद मे ₹ 20,000 निर्धारित किये जाते हैं।

18. याचीगण ने मृतक के इलाज में ₹ 5,00,000 खर्च होना बताया है तथा पी.डब्लू.1 के रूप याची सुरेश राय ने उक्त का समर्थन किया है तथा यचीगण की ओर से दवाओं के विभिन्न असल बिल व रसीदें व जांचों से संबंधित प्रपत्र दाखिल किये गये है। विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी की ओर से फेहरिस्त 82 सी1 से 83 सी1 मेडिकल बिलों की सत्यापन आख्या पत्रावली पर दाखिल की गयी है जिसमें अन्वेषक द्वारा ₹ 87,608 के बिलों को सत्यापित किया गया है जो केवल BLK Hospital Delhi के हैं जबकि मृतक का ईलाज झाँसी मे भी हुआ है। झाँसी मे मृतक के इलाज पर हुये व्यय के मद में लगभग ₹ 1,33,282 के बिल प्रस्तुत किए गए है जो कि कराये गये इलाज के अनुसार उचित हैं जिन्हें भी दिलाया जाना उचित होगा।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			2	41580
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				41580
गुणक			17	706860
साहचर्य की क्षति			20000	726860
संपदा की क्षति			15000	741860
अंतिम संस्कार पर खर्च			10000	**751860**
इलाज पर हुए व्यय के मद मे			220890	**972750**
देय क्षतिपूर्ति				**972750**
मो. साइ. चालक की योगदाई उपेक्षा (प्रतिशत में)			**30**	**291825**
ट्रक चालक की उपेक्षा (प्रतिशत में)			**70**	**680925**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 9,72,750 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। याची सं. 1 लगायत 3 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 40, 50 व 10 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009-SC): MANU/SC/ 1949/2009 व M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति की 75% धनराशि की पाँच वर्षीय एन्युटी की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार यह वाद बिंदु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याची की याचिका आंशिक रूप से विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध संयुक्त एवं पृथक-पृथक दायित्व के अंतर्गत प्रतिकर ₹ 6,80,925 हेतु तथा विपक्षी सं. 4 व 5 के विरुद्ध संयुक्त एवं पृथक-पृथक दायित्व के अंतर्गत प्रतिकर ₹ 291825 हेतु स्वीकार की जाती है। निर्धारित प्रतिकर पर 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक भी देय होगा। विपक्षी सं. 3 ~~नेशनल~~ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध निर्धारित उक्त प्रतिकर मय ब्याज के क्षतिपूर्ति करेगा। विपक्षी संख्या 3, 4 व 5 को आदेशित किया जाता है कि वे याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर प्रतिकर की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। धनराशि अंतरण मे याचिका संख्या व नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगाा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी।

उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. 1 लगायत 3 क्रमशः 40, 50, 10 प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची के 75-75 प्रतिशत भाग की

5 वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी व प्रतिकर की शेष 25-25 प्रतिशत की धनराशि प्रत्येक याची आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे ।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक 27.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 27.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

Third Line of operative portion corrected vide order dated 02.11.2020.

PO, MACT, Jhansi
02.11.2020